

प्रेषक,

राम सिंह
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 04 फरवरी, 2016

विषय- उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालय हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लेखालिपिक तथा आशुलिपिक के पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं०-216/XXXVI(1)/2015-184/2001 दिनांक 27 जुलाई 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ समस्त 13 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यालयों में कार्यों के सुचारु रूप से संचालनार्थ निम्नलिखित अस्थायी पदों को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28.02.2017 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
01.	सिविल जज(प्रवर खण्ड)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	13	39530-54010+अन्य भत्ते
02.	लेखा लिपिक	13	5200-20200ग्रेड पे 2800
03.	आशुलिपिक	13	5200-20200ग्रेड पे 2800
	कुल पद	39	

- 2- उक्त पदधारको को पदों के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
- 3- उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। उक्त सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार विद्यमान शारानादेश एवं नियमावली के अनुसार सम्पादित की जायेगी।
- 4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान सं० 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण" के अन्तर्गत के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामों को ज्ञात जायेगा।

5- यह आदेश उत्तर-प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-ए-2-2574/दस-98-24(8) 92 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर 1998 सपठित सं०-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं० सं०-ए-2-877/ दस-92-24 (8)/92 दिनांक 07.11.1995 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 760/XXXVI(1)/2016-184/2001 टी०सी०-V तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

(कहकशा खान)
अपर सचिव